

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-31/2017-18

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी कॉलेज ब्रांच, बोकारो
बनाम्

M/S Laxmi Vishwanath Enterprises & Oths.

—: आदेश :-

15.09.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी कॉलेज ब्रांच, सेक्टर-6, बी०एस०सिटी, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S Laxmi Vishwanath Enterprises & Oths. प्र० श्री पंकज कुमार त्रिपाठी (ऋणकर्ता) सा०-कॉपरेटिव कॉलोनी प्लॉट सं०-181, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो एवं गारंटर 2. श्री अंजन कुमार चटोपाध्याय पिता स्व० रोहिणी कान्त चटोपाध्याय 3. श्री सागर चटोपाध्याय पिता स्व० श्यामपदो चटोपाध्याय 4. श्री अनल चटोपाध्याय सभी सा०-भगवती कॉलोनी, जोधाडीह मोड़, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सूनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी कॉलेज ब्रांच, बी०एस०सिटी, बोकारो की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा चास थाना सं०-30 खाता सं०-107, 108 प्लॉट सं०-5289, 5290 रकबा-50.44 डी० एवं खाता सं०-376, प्लॉट सं०-2436 रकबा-15 डी०) को गिरवी रखते हुए 20,00,000/(बीस लाख) रुपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.12.2010 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT-2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत



विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

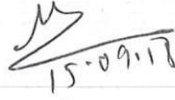
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त करने के बाद भी अनुपस्थित रहे हैं। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में कुछ भी कहना है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी कॉलेज ब्रांच, सेक्टर-6, बी०एस०सिटी, बोकारो के अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


15.09.17

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।